न्यायालय उप तहसीलदार (राजस्व) पल्लू तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी

मु0न0 16/2016

स्टेट.....

बनाम शान्ति w/o गुलाब राम वगैरा

सा0 पुनासर तह. रावतसर

निर्णय दिनांक 23/9/16

प्रकरण का सक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि हल्का पटवारी पुनासर ने रिपोर्ट की है कि खसरा न0 169 रकबा 1.0112 गौचर/जोहड़पायतान/रकबा राज परफसल खरीफ बाजरा में नाजायज काश्त की है।

रिपोर्ट दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी के उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 के तहत नोटिस जारी कर सुनवाई का अवसर दिया। अप्रार्थी ने अतिक्रमण किया जाना स्वीकार किया।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के गहन अध्ययन,मनन एवम् विवेचन करने पर पाया कि अप्रार्थी अमिक्रमी है। इस लिये उपनिवेशक अधिनियम 1954 की धारा 22 के तहत अतिक्रमी घोषित किया जाता है। तथा दण्डस्वरूप सामान्य भूराजस्व का 50 गुणा तावान ..... 100 रूपये सांकेतिक मात्र कायम किया जाता हैं।

रजिस्टर में मांग कायमी हेतु टी0आर0ए0 को लिखा जावें तथा भू–राजस्व निरीक्षक को लिखा जावे कि अतिक्रमित क्षैत्र में बोई गई फसल की निलामी कर,निलामी फर्द पेश करें। हल्का पटवारी को लिखा जावें कि अतिक्रमित क्षैत्र से भौतिक रूप से बेदखल कर रिपोर्ट पेश करें तथा तावान की राशि वसूल करें।

निर्णय आज दिनांक 23/9/16 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उप पंजीयक

पल्ल